

| | | |
|---|-------------------------|----|
| fooj . k | nHkz | |
| | çLrj i "B a[; k | |
| çkDdFku | - v | |
| dk; ldkjh kj | - vii | |
| v/; k; 1 j kT; j dkj ds foRr | | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 1.1 | 1 |
| राजकोषीय लेन—देनों का सारांश | 1.2 | 2 |
| राजकोषीय स्थिति की समीक्षा | 1.3 | 5 |
| राज्य के वित्तीय संसाधन | 1.4 | 8 |
| राजस्व बकाया | 1.5 | 17 |
| संग्रह की लागत | 1.6 | 17 |
| संसाधनों के अनुप्रयोग | 1.7 | 18 |
| शासकीय व्यय एवं निवेश | 1.8 | 25 |
| परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें | 1.9 | 29 |
| ऋण प्रबन्धन | 1.10 | 35 |
| अनुवर्ती कार्यवाही | 1.11 | 36 |
| v/; k; 2 foRrh; çcu/ku , oəctVh; fu; U=.k | | |
| विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण | 2.1 | 37 |
| वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन | 2.2 | 38 |
| v/; k; 3 foRrh; fji kfvh , oəys[kkvks i j fVli .kh | | |
| वैयक्तिक जमा खाता | 3.1 | 43 |
| उपभोग प्रमाणपत्रों को प्रेषित न किया जाना | 3.2 | 44 |
| लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल | 3.3 | 45 |
| रोकड़ बही का अपूर्ण / अनुरक्षण न किया जाना | 3.4 | 46 |
| रोकड़ अवशेष में भिन्नता | 3.5 | 47 |

| | | |
|---|---|----|
| धनराशियों का केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना | 3.6 | 47 |
| ब्याज का समायोजन | 3.7 | 47 |
| राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव | 3.8 | 48 |
| भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर | 3.9 | 49 |
| विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण | 3.10 | 51 |
| लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग | 3.11 | 52 |
| विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे | 3.12 | 53 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब | 3.13 | 54 |
| लाभांश घोषित न किया जाना | 3.14 | 55 |
| इक्विटी/ऋणों का मिलान न किया जाना | 3.15 | 56 |
| लेखाओं में अपारदर्शिता | 3.16 | 56 |
| राज्यों के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन | 3.17 | 57 |
| i f j f' k"V; k | | |
| i f j f' k"V 1.1 | राज्य का परिदृश्य | 59 |
| i f j f' k"V 1.2 | शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप | 61 |
| i f j f' k"V 1.3 | वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 63 |
| i f j f' k"V 1.4 | वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय | 66 |
| i f j f' k"V 1.5 | राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े | 68 |
| i f j f' k"V 1.6 | (अ) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का करेतर राजस्व | 71 |
| i f j f' k"V 1.7 | 31 मार्च 2018 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार | 72 |
| i f j f' k"V 1.8 | आरक्षित निधियों का विवरण | 74 |
| i f j f' k"V 2.1 | (अ) वर्ष 2017-18 के व्याधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) विगत वर्षों के व्याधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता | 77 |
| i f j f' k"V 2.2 | ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग | 79 |
| i f j f' k"V 2.3 | अनवरत बचत वाले अनुदान | 81 |
| i f j f' k"V 2.4 | प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 82 |
| i f j f' k"V 2.5 | निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग | 84 |
| i f j f' k"V 2.6 | वर्ष 2017-18 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण | 89 |
| i f j f' k"V 2.7 | वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) | 99 |

| | | |
|-----------------|--|-----|
| i fj f' k"V 2.8 | अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया | 100 |
| i fj f' k"V 2.9 | अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें | 103 |
| i fj f' k"V 3.1 | रोकड़ बही अपूर्ण/अनुरक्षण न किया जाना | 107 |
| i fj f' k"V 3.2 | दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का वितरण | 108 |
| i fj f' k"V 3.3 | विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2018 तक लम्बित थी) | 109 |
| i fj f' k"V 3.4 | चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 110 |
| i fj f' k"V 3.5 | वर्ष 2017-18 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण | 111 |
| i fj f' k"V 3.6 | विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण | 112 |
| i fj f' k"V 3.7 | राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे बकाये थे | 113 |
| i fj f' k"V 3.8 | लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से लाभांश | 116 |
| i fj f' k"V 4 | 'kCnkoyh %vfrfj Dr vkJdM% | |
| | गणना का आधार | 117 |
| | पदों की व्याख्या | 118 |
| | प्रथमाक्षरी | 119 |

